

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर जिला बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 540/2025

प्रार्थी
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

बनाम

अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार

रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अधिनियम 2016

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136

आदेश

दिनांक :- 08.07.25

राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 की पालना में राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 04.04.2025 को जारी परिपत्र के अनुसार रास्ता खालों अभियान के तहत सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में मौके पर स्थाई रूप में चालू (कदीमी) परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी रूप में दर्ज नहीं है को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण के पत्रांक राजस्व/2025/1039 दिनांक 23.06.2025 द्वारा मौजा जसोताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर में स्थाई रास्ता जो भाड़खा से थूमबली जाने वाली डामर सड़क में से चन्दाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट की ढाणी तक जाने वाला रास्ता चल रहा है, जिसकी लम्बाई 348 फीट है, जो वर्तमान में रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही है, की किस्म परिवर्तित कर रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया साथ ही तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। मौके पर रास्ता बना हुआ है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

पटवार मण्डल - भाड़खा							तहसील - बाड़मेर ग्रामीण					
वर्तमान में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टी							नवीन रास्ते हेतु प्रविष्टी					
क. सं.	जीसीएमस पोर्टल पर दर्ज क्रमांक	तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	खसरा नम्बर	रास्ते में प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)	रास्ते की लम्बाई चौड़ाई (फीट में)	लम्बाई X चौड़ाई	किस्म जमीन	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
1	2025/	1039 date 23.06.2025	जसोताणियों की ढाणी	187/146	0.4856	बा.सो.	187/146	0.0970	348	30	गै.मु. रास्ता	

नोट :- तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर



आज दिनांक...08.07.25...को सरे ईजलास में सुनाया गया।